संख्या- 1/एस-3-811/दस-2013-ब(26)/2012

प्रेषक,

राम किशोर पाण्डेय,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

कोषागार, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ ।

वित्त(सेवायें) अनुभाग-3 दिनांक: 13 दिसम्बर, 2013

विषय :- नयी पेंशन योजना के क्रियान्वयन आदि के दृष्टिगत श्री राज्यपाल सचिवालय में प्रदेश के कोषागारों की भांति बिल पारण एवं लेखा प्रक्रिया आदि कम्प्यूटराईजेशन हेतु ओरेकल साफटवेयर की स्थापना हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 4593/कम्प्यूटर/150/ओरेकल/2012/को0नि0, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- एस-3-1476/दस-2012-ब(26)/2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में नयी पेंशन योजना के क्रियान्वयन आदि के दृष्टिगत श्री राज्यपाल सचिवालय में प्रदेश के कोषागारों की भांति बिल पारण एवं लेखा प्रक्रिया आदि के कम्प्यूटराईजेशन हेतु मेसर्स अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 की प्रस्तावित दर से ओरेकल साफटवेयर का क्रय किये जाने हेतु रू0 1,38,365/- (रूपये एक लाख अड़तीस हजार तीन सौ पैंसठ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी । प्रश्नगत सफटवेयर का मूल्य बढ़ जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2012-13 में साफटवेयर का क्रय किया जाना सम्भव नहीं हो पाया था । फलस्वरूप उक्त धनराशि रू0 1,38,365/- शासन को समर्पित कर दी गयी थी । अब राज्यपाल सचिवालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु ओरेकल साफटवेयर क्रय हेतु कोटेशन के आधार पर न्यूनतम दर रू0 3,26,155 मेसर्स अपट्रान पावरट्रानिक्स की प्राप्ति हुई है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि रू0 3,26,155(रूपये तीन लाख छब्बीस हजार एक सौ पचपन मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं : -

(1) स्वीकृत धनराशि नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा बचतों की स्थिति में अवशेष धनराशि राजकोष में समर्पित की जायेगी ।

(2) प्रश्नगत कार्य पर किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत कार्य निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार समयान्तर्गत कराया जायेगा तथा इसका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) यदि प्रश्नगत कार्य नहीं कराया जाता है तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाते हुये सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में तुरन्त जमा कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(राम किशोर पाण्डेय)
उप सचिव ।

संख्या- एस-3-811(1)/दस-2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राम किशोर पाण्डेय)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in